



# अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

कोनी पुलिस थाना के सामने, बिलासपुर-रतनपुर मार्ग, कोनी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495009

ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in, वेबसाइट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 56 / अका. / 2024

बिलासपुर, दिनांक 31.01.2024

## आदेश

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर की अनुमति के आधार पर चौकसे कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड कामर्स, लालखदान, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से नीचे उल्लेखित नवीन विषय/संकाय/पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र.	विषय/पाठ्यक्रम का नाम	छात्र संख्या
1	बी.बी.ए.- भाग-प्रथम	40
2	बी.सी.ए.- भाग-प्रथम	40

शर्तें:-

1. शासन से प्राप्त निर्देशों का पालन किया जाये।
2. प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु 50,000/- रु. तक की नवीनतम पुस्तकें खरीदी जावे।
3. शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही पूर्ण करे।
4. महाविद्यालय में अध्ययन/अध्यापन हो रहे अन्य विषयों/पाठ्यक्रमों के शिक्षकों की परिनियम-28 के प्रावधानानुसार नियुक्ति की शीघ्र कार्यवाही करे एवं वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाये।
5. अध्यापनरत/नियुक्ति हेतु शिक्षकों की न्यूनतम अर्हतायें वही होगी जो विश्वविद्यालय/शासन/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्रीय अभिकरण(यथा-ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई./डी.सी.आई/पी.सी. आई/सी.सी.एच./बी.सी.आई.....इत्यादि) द्वारा निर्धारित है।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 31.01.2024

पृ.क्रमांक 57 / अका / 2024

प्रतिलिपि:-

- 01/ कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02/ अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 03/ परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव(परीक्षा) को सूचनार्थ प्रेषित।
- 04/ अध्यक्ष, शासी निकाय/प्राचार्य, चौकसे कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड कामर्स, लालखदान, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव





# अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर-रतनपुर मार्ग, कोनी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495009  
ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in, वेबसाइट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 213 / अका. / 2025

बिलासपुर, दिनांक 21.04.2025

## आदेश

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर की अनुमति एवं बार कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की अनुमति तथा विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर चौकसे कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड कामर्स, लालखदान, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से नीचे उल्लेखित विषय/पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क.	विषय का नाम	छात्र संख्या
1/	बी.ए.एल.एल.बी.-प्रथम वर्ष	60
2/	बी.कॉम.एल.एल.बी.-प्रथम वर्ष	60
3/	एल.एल.बी.-प्रथम वर्ष	60

शर्त:-

- शासन से प्राप्त निर्देशों का पालन किया जाये।
- प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु 50,000/- रु. तक की नवीनतम पुस्तकें क्रय की जावे।
- शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही पूर्ण करे।
- अध्यापनरत्/नियुक्ति हेतु शिक्षकों की न्यूनतम अर्हतायें वही होंगी जो विश्वविद्यालय/शासन/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्रीय अभिकरण(यथा-ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई./डी.सी.आई/पी.सी.आई/सी.सी.एच./बी.सी.आई.....इत्यादि) द्वारा निर्धारित है।

महाविद्यालय को उल्लेखित शर्तों की एक माह के भीतर पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अभिलेखों सहित उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता पर आगामी वर्ष से पुनर्विचार किया जा सकता है। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव

पृ.क्रमांक 214 / अका / 2025

बिलासपुर, दिनांक 21.04.2025

प्रतिलिपि:-

- 01/कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02/सचिव, बार कौंसिल ऑफ इंडिया, 21, राउज ऐवन्यू इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
- 03/अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 04/परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव(परीक्षा) को सूचनार्थ प्रेषित।
- 05/प्राचार्य, चौकसे कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड कामर्स, लालखदान, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
कुलसचिव